



Centre for
CIVIL
SOCIETY

SOCIAL CHANGE THROUGH PUBLIC POLICY

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

एक बार का
निरंतर
व्यापक मूल्यांकन





कॉपीराइट ©2021

प्रथम प्रकाशन वर्ष 2021

द्वारा - सेंटर फोर सिविल सोसाइटी

लेखक: अनिरुद्ध अग्रवाल और प्रशांत नारंग
सेंटर फोर सिविल सोसाइटी

कृपया लेखकों के नाम का इस तरह से उल्लेख करें:

अनिरुद्ध अग्रवाल और प्रशांत नारंग, 2021
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक बार का व्यापक मूल्यांकन।
सेंटर फोर सिविल सोसाइटी, नई दिल्ली

आवरण पृष्ठ डिजाइन: रवि कुमार यादव,
सेंटर फोर सिविल सोसाइटी

ज़्यादा जानकारी और दूसरे अनुरोधों के लिए, इस पते पर लिखें:

सेंटर फोर सिविल सोसाइटी,
ए-69, हौज खास, नई दिल्ली-110016
फोन: +91 11 26537456
ईमेल: ccs@ccs.in वेबसाइट: www.ccs.in
आईएसबीएन: 978-81-87984-53-5

सामग्री तालिका

04 संज्ञान

05 संक्षेपाक्षरों की सूची

06 परिचय

07 1. बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देना

11 2. स्कूलों के लिए भाषा के नियम

16 3. मूल्यांकन और शिक्षण परिणाम का मापन

20 4. स्कूलों के लिए नियामकीय संरचना

24 5. सरकार के कार्यों का पृथक्करण

27 6. शुल्क विनियमन

29 7. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

32 8. आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता

34 संदर्भ



संज्ञान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक बार का व्यापक मूल्यांकन, भारत की नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कवर की गई के-12 शिक्षा के शासन पहलुओं की आलोचना प्रस्तुत करता है।

हम फ्रेडरिक नौमान फ़ाउंडेशन के वित्तीय समर्थन के लिए उनके बहुत आभारी हैं, जिसके बिना यह शोध संभव नहीं होता। हम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की शिक्षिका प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन, और प्रियंवदा तिवारी को उनकी टिप्पणियों के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके मार्गदर्शन से इस काम में हमें काफी मदद मिली। हम दस्तावेज़ पर योगदान और टिप्पणियों के लिए अनिरुद्ध गोयल और तारिणी सुधाकर का भी विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। अंत में, हम अपनी सीईओ लक्ष्मी संपत गोयल को उनके समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।




संक्षेपाक्षरों की सूची

| | |
|----------------|---|
| एसईआर | वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट स्थिति |
| सीबीएसई | केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड |
| सीसीई | निरंतर व्यापक मूल्यांकन |
| ईसीसीई | प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा |
| आईसीटी | सूचना और संचार प्रौद्योगिकी |
| एमएचआरडी | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |
| एमओई | शिक्षा मंत्रालय |
| एनएस | राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण |
| एनसीईआरटी | राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद |
| एनईपी | राष्ट्रीय शिक्षा नीति |
| एनसीपीएफईसीसीई | राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना |
| एनआईओएस | द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग |
| ओडीएल | मुक्त और दूरस्थ शिक्षा |
| परख | समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण |
| सार्थक | गुणवत्ता शिक्षा के ज़रिए छात्र एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति |
| एसएस | राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण |
| एसबीए | स्कूल आधारित मूल्यांकन |
| एससीईआरटी | राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद |
| एसओएस | स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग |
| एसआईओएस | द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग |
| एसएसएसए | राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण |
| यूडीआईएसई | एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली |
| यूटी | केंद्र शासित क्षेत्र |

परिचय

जुलाई 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 (अब से एनईपी 2020 या नीति) जारी की। यह नीति कई दिशानिर्देशों, परामर्शों और पुनरावृत्तियों के बाद आयी है। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी (सीसीएस) स्कूली शिक्षा के लिए इसके विकास पर करीब से ध्यान दे रहा है, विशेष रूप से 2016 में सुब्रमण्यम समिति और 2019 में कस्तूरिरंगन समिति (यहां देखें) से मिली जानकारी पर ध्यान दे रहा है।



चित्र 1: भारत की शिक्षा नीति का विकास

इस विशेष निबंध में हम एनईपी 2020 पर गहराई से विचार करेंगे, और स्कूली शिक्षा के लिए इसके आठ अध्यायों में प्रमुख प्रस्तावों का विश्लेषण करेंगे। विशेष रूप से, हम इन चीजों पर ध्यान देंगे:

1. मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का विस्तार करना;
2. स्कूली शिक्षा के लिए निर्देश का माध्यम चुनना;
3. सीखने के परिणामों को मापना और उनका मूल्यांकन करना;
4. स्कूलों के लिए मानक-निर्धारण/नियामक संरचना की समीक्षा करना;
5. सरकार के कार्यों का पृथक्करण;
6. शुल्क का विनियमन;
7. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना;
8. आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को सुदृढ़ बनाना।

एनईपी 2020 इनमें से प्रत्येक विषय पर एक मजबूत दृष्टिकोण अपनाता है। महत्वपूर्ण रूप से, यह नियामक संरचना की जांच करता है, खामियों को दूर करने का प्रयास करता है और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ता है।



01

बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का विस्तार करना

बच्चों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। इसमें छह से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई थी। एनईपी 2020 का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन (तीन साल की उम्र से आगे) से उच्च माध्यमिक शिक्षा (ग्रेड 12) (पेज 32) तक इस प्रावधान का विस्तार करना है, विशेष रूप से वंचित और वंचित वर्गों के छात्रों के लिए ऐसा करना है।

एनईपी 2020 का लक्ष्य 2030 तक, प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। यह उन बच्चों को शिक्षा से वापस जोड़ने का वादा करता है जो शिक्षा के लिए वापस स्कूल आ गए हैं तथा यह और छात्रों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने से रोकने का भी वादा करता है (पेज 10)। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, एनईपी 2020 निम्नलिखित कदम उठाएगा:

1. प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित और आकर्षक स्कूली शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। यह मौजूदा स्कूलों को बेहतर तथा बड़ा बनाकर, अतिरिक्त स्कूलों का निर्माण

करके तथा स्कूल आने-जाने के लिए वाहनों की सुरक्षित एवं व्यावहारिक व्यवस्था और/या खासकर लड़कियों के लिए छात्रावास प्रदान करके किया जाएगा (पेज 10);

2. परोपकार सेवा क्षेत्र के साथ साझेदारी के माध्यम से इनपुट पर कम प्रोत्साहन और सीखने के परिणामों पर अधिक ध्यान देने वाले स्कूलों के निर्माण को आसान बनाना;
3. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग (एनआईओएस) के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना तथा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का विस्तार करना। राज्यों को नये स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन लर्निंग (एसआईओएस) स्थापित करके या मौजूदा संस्थानों को मजबूत बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रेड 3, 5, 8, 10 और 12 के समकक्ष मुक्त कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा;
4. छात्रों के साथ-साथ उनके शिक्षण स्तर का पता लगाना, ताकि वे (क) दाखिला लें और स्कूल जाएं और (ख) अगर वे पीछे रह गए हैं या स्कूल छोड़ गए हैं तो उन्हें पाठ्यक्रम में उसी स्तर पर आने और स्कूल में दोबारा आने के उपयुक्त

अवसर मिलें (पेज 10);

- काउंसलर या अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूलों/स्कूल परिसरों से जोड़ना (पेज 10)।

एनईपी 2020 बाधाओं को दूर किए बिना धारा 12 को के-12 तक विस्तारित करने की सिफारिश करता है

ऐसा लगता है कि एनईपी 2020 की आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम को 3-18 साल से बढ़ाने की सिफारिश संयुक्त राष्ट्र सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 के अनुरूप है। लक्ष्य 4 का मतलब “समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना” है (सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, 2020)। लक्ष्य 4 के उप-लक्ष्यों में “यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियां और लड़के मुफ्त, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करें जिससे शिक्षा के प्रभावी एवं प्रासंगिक परिणाम हासिल हो” (आईबिड)। जहाँ एनईपी 2020 से नामांकन में वृद्धि होने की संभावना है (शाह और स्टाइनबर्ग, 2019), गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत है।

आरटीई एक्ट की धारा 12 के खराब कार्यान्वयन पर एनईपी 2020 में कुछ नहीं कहा गया है। इसके कार्यान्वयन के बारे में प्रलेखित साक्ष्य को देखते हुए एनईपी 2020 में ठोस सुधारों की सलाह दी जानी चाहिए (भट्टाचार्य, 2019; सरिन और अन्य, 2015)। सामाजिक समावेश से संबंधित समस्याओं (दत्त और खान, 2021, मेहेंदले और अन्य, 2015; लाफलेउर और श्रीवास्तव, 2019) पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नीति को कम प्रति बच्चा व्यय और प्रति बच्चा व्यय की असामान्य पुनर्गणना पर सुधार का निर्देश देना चाहिए (मित्तल और शाह, 2010)। चूंकि कई राज्य सरकारी स्कूलों में “प्रति बच्चा व्यय” की समय-समय पर समीक्षा और

अधिसूचना नहीं करते हैं, प्रतिपूर्ति का मूल्यांकन कम किया जाता है और अक्सर देरी होती है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्रति छात्र व्यय (पीपीई) से जुड़े एक अध्ययन में पाया गया कि जहाँ सरकारी स्कूलों में पीपीई 3,064 रुपए प्रति माह था, सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिपूर्ति की ऊपरी सीमा 450 रुपए प्रति माह थी। इस प्रकार पीपीई गणना वास्तविक लागत गणना का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, आरटीई अधिनियम (किंगडन और मुजम्मिल, 2018) के तहत प्रतिपूर्ति प्रावधान का उल्लंघन करती है। इसके अलावा, लोकसभा में एक अतारांकित सवाल के जवाब में कहा गया कि केवल 15 राज्यों ने आरटीई अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रतिपूर्ति की राशि का प्रस्ताव रखा¹। इसमें से तीन राज्यों को कोई राशि नहीं मिली क्योंकि उन्होंने निजी स्कूलों को किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी।

इसके अलावा, वार्षिक कार्य योजना और 2019-20 के बजट के अनुसार, ज़्यादातर राज्यों ने निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति बच्चा एक ही लागत की घोषणा की²। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अलग इनपुट और अधिक योग्य शिक्षकों की जरूरत के बावजूद है। उदाहरण के लिए, 2015 तक, उत्तर प्रदेश में एक प्राथमिक शिक्षक का शुरुआती वेतन 39,683 रुपए प्रति माह था, जबकि एक उच्च प्राथमिक शिक्षक का वेतन 47,716 रुपए प्रति माह था- यानी लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा था (किंगडन और मुजम्मिल, 2018)। सरकार की प्रति बच्चा लागत योजना और गणना में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर इस तरह के अंतर को शामिल नहीं किया गया।

जैसा कि कस्तूरीरंगन समिति 2019 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, आरटीई अधिनियम 12(1)(सी) संस्थानों को स्वायत्तता के नीति के समग्र सिद्धांत (एमएचआरडी, 2019, पेज 193) के खिलाफ जाता है। समिति ने सिफारिश की है कि यदि धारा 12(1)(सी) को बरकरार रखना है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए इसे मजबूत किया जाना चाहिए कि देश के

1. भारत सरकार। शिक्षा के अधिकार के तहत प्रति बच्चा व्यय। लोक सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 2165। 12 दिसंबर, 2019, <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU2165.pdf>. 20 मई, 2020 को हासिल किया गया।

2. भारत सरकार, शिक्षा के अधिकार के तहत प्रति बच्चा व्यय, अतारांकित प्रश्न संख्या 4724। 23 मार्च, 2020, <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AU4724.pdf>. 20 मई, 2020 को हासिल।



सभी निजी स्कूलों में प्रवेश पारदर्शी व्यवस्था के ज़रिए आयोजित किए जाएं, स्कूल छात्रों को एकीकृत करने के लिए सहायता प्रदान करें, और भेदभाव की स्थिति में विश्वसनीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान किए जाएं। पहुंच और समावेश दोनों पर ध्यान देने का एक रास्ता स्कूल की पसंद के माध्यम से निकलेगा। राज्य सरकारों को माता-पिता को सीधे उनके खातों में नकद हस्तांतरित करके और उन्हें अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनने की मंजूरी देकर सशक्त बनाना चाहिए।

इस प्रकार, आरटीई अधिनियम की धारा 12 में शामिल प्रावधानों को मजबूत किया जाना चाहिए और उनमें सुधार किया जाना चाहिए।

बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्या: 'कैसे' से पहले 'क्यों' को आना चाहिए

एनईपी 2020 बच्चों के स्कूल छोड़ने (ड्रॉपआउट) के कारणों का संज्ञान लिए बिना, विभिन्न समाधान निर्धारित करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे और काउंसलर से लेकर पाठ्यक्रम का नया स्वरूप और छात्र का पता लगाना शामिल है। एनईपी 2020 का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों के बच्चों को वैकल्पिक

शिक्षा/नवोन्मेषी शिक्षा केंद्रों के साथ शिक्षा प्रदान करना है, जबकि इन केंद्रों को कैसे विनियमित किया जाएगा और गुणवत्ता मानक क्या होंगे, इसपर कुछ नहीं कहा गया है। इन केंद्रों को कौन स्थापित करेगा और कौन चलाएगा इसकी भी जानकारी नदारद है।

इसके अलावा, नीति ऊंची ड्रॉपआउट दर वाले क्षेत्रों में स्थानीय भाषा के ज्ञान वाले शिक्षकों को तैनात करने के लिए "एक प्रोत्साहन प्रणाली" की सिफारिश करती है। लेकिन नीति यह नहीं साफ करती कि वे प्रणालियां क्या होंगी, उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उन्हें कैसे वित्त पोषित किया जाएगा।

मुक्त विद्यालय संबंधी हस्तक्षेप: किस आधार पर

ओपन स्कूलिंग (मुक्त विद्यालय शिक्षा) को मजबूत करने और उनके प्रस्तावों (क्रमशः ग्रेड 3, 5 और 8 के बराबर ए, बी और सी स्तर) का विस्तार करने की सलाह कमजोर साक्ष्यों पर आधारित है क्योंकि प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षणों, जैसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) और वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) मुक्त विद्यालयों को अपने




शिक्षण परिणामों के आंकड़ों में शामिल नहीं करते। इस बात के भी प्रमाण हैं कि वेतनभोगी शिक्षार्थी एनआईओएस को एजिट सर्टिफिकेशन (निकास प्रमाणन) के लिए उपयोगी पाते हैं लेकिन सीखने के परिणामों के लिए इतना उपयोगी नहीं समझते (झा और अन्य, 2016)। इस प्रकार, वर्तमान में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को जानें बिना और यह समझें बिना कि क्या उन्हें बदलाव की ज़रूरत है, केवल सेवाओं का विस्तार करना समझदारी नहीं है।

इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि एनआईओएस और एसआईओएस हितों के टकराव को कैसे सुलझाएंगे, क्योंकि एजिट सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ-साथ सेवा प्रदाता के रूप में वे दोहरी भूमिकाएं निभाते हैं। सेवा प्रदाता निकास प्रमाणन प्रदान कर रहा है, जो बदले में सेवा कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। यह सेवा प्रावधान में सुधार किए बिना प्रमाणन को आसान बनाने को प्रोत्साहित कर सकता है। इसलिए, कार्यों का पृथक्करण ज़रूरी है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करना: कोई विवरण नहीं

एनईपी 2020 सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं को शामिल करने की ज़रूरत की बात करता है। हालांकि, यह अन्य विभागों से ऐसा करने का सुझाव देता है। समाधान के रूप में इन अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों की सेवा लेने वकालत करते हुए, यह इन कर्मियों के लिए बढ़े हुए कार्यभार के प्रभावों पर ध्यान नहीं देता।

भले ही स्कूल परिसरों को सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं की सेवा लेने से लाभ होगा (पेज 29), नीति यह स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि ऐसे कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल जाएगा और वे किस स्तर पर काम करेंगे। इसके अलावा, इस संबंध में अगर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया तो स्कूल परिसरों के प्रस्ताव के चलते समस्याएं आ सकती हैं। पहले से ही शिक्षकों की अनुपस्थिति ज़्यादा है (चौधरी और अन्य, 2006)। शिक्षकों से एक स्कूल परिसर के भीतर स्थित सभी स्कूलों में यात्रा करने की अपेक्षा करना शिक्षकों के लिए अनुपस्थिति का एक और बहाना बन सकता है और इससे उनकी अनुपस्थिति की दर और बढ़ सकती है।



02

स्कूलों के लिए भाषा के नियम

एनईपी 2020 मानता है कि “छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा/मातृभाषा में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं” (पेज 13) और अनुशंसा करता है कि, जहाँ भी संभव हो, शिक्षा का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। इसके अलावा, सरकारी और निजी दोनों स्कूलों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए (पेज 13)।

नीति बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक लाभों और दो से आठ साल की उम्र के बच्चों की भाषाओं को जल्दी से समझने की क्षमता को भी पहचानती है। इस प्रकार यह अनुशंसा करती है कि स्कूली छात्रों को कम उम्र से ही अलग-अलग भाषाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए और सभी भाषाओं को “आनंददायक बातचीत की शैली” में पढ़ाया जाए, जिसमें “गेमिफिकेशन”, “ऐप्स” और “प्रौद्योगिकी का व्यापक इस्तेमाल” शामिल है (पेज 13-14)।

बहुभाषावाद के प्रयासों में और मदद करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें घरेलू भाषा/मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी (पेज 13)। विज्ञान और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण-पाठन सामग्री तैयार करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे (पेज 14)। ऐसी सामग्री के अभाव में, शिक्षक-छात्र का

लेन-देन जहाँ भी संभव हो, मातृभाषा/मातृभाषा में ही रहेगा (पेज 13)।

राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की ओर से सभी क्षेत्रीय भाषाओं, विशेषकर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा के शिक्षकों की बड़ी संख्या में निवेश करने के लिए एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। राज्य तीना भाषा के फ़ार्मूले को पूरा करने के लिए, बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने की खातिर एक-दूसरे के साथ द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं (पेज 13)।

तीन भाषाओं का फ़ार्मूला इस तरह लागू होता रहेगा कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। सीखी गई भाषाएं राज्य, क्षेत्र और छात्रों की पसंद होंगी, जब तक कि तीन में से दो भाषाएं भारत की मूल भाषाएं हैं। छात्र ग्रेड 6 और 7 में एक या अधिक भाषाओं को बदलने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि वे माध्यमिक विद्यालय (ग्रेड 8) के अंत तक कम से कम एक भारतीय भाषा में साहित्य स्तर की प्रवीणता सहित तीन भाषाओं में बुनियादी दक्षता प्रदर्शित करने में सक्षम हैं।

एनईपी 2020 के अनुसार, संस्कृत को स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा और समकालीन रूप से प्रासंगिक तरीके से पढ़ाया

जाएगा। संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने के लिए आधारभूत और मध्य विद्यालय स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकें सरल मानक संस्कृत में लिखी जा सकती हैं (पेज 13)। संस्कृत के अलावा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, फ़ारसी और प्राकृत सहित भारत की अन्य प्राचीन भाषाएँ भी स्कूलों में व्यापक रूप से विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगी, वे संभवतः ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में उपलब्ध होंगी (पेज 14)।

भारतीय सांकेतिक भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा, जिसमें श्रवण बाधित छात्रों द्वारा उपयोग के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे। जहां भी प्रासंगिक हो, स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें पढ़ाया जाएगा (पेज 14)।

निर्देश का माध्यम: विशेषज्ञों और माता-पिता के बीच विवाद

एनईपी 2020 में ग्रेड 5 तक, अधिमानतः ग्रेड 8 तक मातृभाषा में निर्देश की सिफारिश की गई है। जेफकोट (1984), यूनिसेफ (2014, 2016) और झिंगरान (2005) के साहित्य जैसे साहित्य भी इसका समर्थन करते हैं और मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। इसके अलावा, शैक्षणिक रूप से मातृभाषा का इस्तेमाल न केवल ज्यादा कारगर है बल्कि यह व्यक्तियों (इस मामले में बच्चे) को एक सामाजिक और भावनात्मक पहचान भी प्रदान करता है, बच्चे की संस्कृति के सार को व्यक्त करता है, और उन्हें अपने जड़ों से जुड़े होने की भावना प्रदान करता है (पटनायक, 1990)। इस प्रकार, बच्चे की मातृभाषा में स्कूली शिक्षा बच्चे की संस्कृति के प्रति सम्मान को दर्शाती है, जबकि मातृभाषा का बहिष्कार “बच्चे के आत्मसम्मान के लिए हानिकारक” है (एडवर्ड्स, 1984)। इसके अलावा, बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के संबंध में एनईपी की सिफारिशें साहित्य में इसके संज्ञानात्मक लाभों को देखकर तर्कसंगत लगती हैं। (विल्स, 1985)।


नीति अपनी इस सिफारिश में विवेकपूर्ण लगती है कि सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। यह निजी स्कूलों को मातृभाषा में शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह के मानदंड के अभाव में, निजी स्कूल क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में चुनने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसा कि अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों की बेहिसाब संख्या को देखकर पता चलता है।³

हालांकि, निजी स्कूल वही देते हैं जो माता-पिता चाहते हैं। संख्याओं से पता चलता है कि माता-पिता अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को वरीयता देते हैं लेकिन नीति माता-पिता की पसंद पर ध्यान नहीं देती। नीति अनुशंसा करती है कि सिखाई जाने वाली भाषाओं को राज्य, क्षेत्र और बच्चे की प्राथमिकताओं के अनुसार चुना जाए (पेज 13)। हालांकि शिक्षा का क्षेत्रीय माध्यम शैक्षणिक रूप से अधिक उपयुक्त हो सकता है, माता-पिता की राय पर विचार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बच्चे के लिए फैसला लेने का पहला अधिकार उन्हें ही होता है।


अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से छात्र को मिलने वाले लाभों के साथ बहुभाषी शिक्षा के महत्व को संतुलित करने की भी ज़रूरत है। यह देखते हुए कि देश भर में ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे बच्चों की शिक्षा की शुरुआत से ही शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने से वे भाषा में सहज और कुशल बन जाते हैं। इससे उन्हें अपने करियर के लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने और पेशेवर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है। अध्ययनों में यह भी अनुमान लगाया गया है कि अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता से व्यक्ति के प्रति घंटा वेतन में 34% तक की वृद्धि होती है, जबकि आंशिक ज्ञान से प्रति घंटा वेतन में केवल 13% की वृद्धि होती है। यह पाया गया है कि अंग्रेजी में पारंगत होने से एक व्यक्ति को अपने माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बराबर

3. सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी स्कूलों में से, जहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने वाले पब्लिक स्कूलों की संख्या सही है, निजी स्कूल अंग्रेजी या हिंदी माध्यम के होते हैं। जहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी वाले निजी स्कूलों का प्रतिशत (36.1%) समग्र हिंदी माध्यम के स्कूलों (41.3%) के लिहाज से सही अनुपात में है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी वाले निजी स्कूलों का प्रतिशत समग्र अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों (15%) से अनुपातिक रूप से ज्यादा (38%) है। (यूडीआईएसई 2018-19)।


Overall schools and their medium of instruction



Government Run/Aided Schools and their medium of instruction



Private Unaided Schools and their medium of instruction



या स्नातक की डिग्री हासिल करने के आधे के बराबर लाभ मिलता है (आजम और चिन, 2013)।

“क्षेत्रीय” स्तर का क्या अर्थ है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं

राज्य, क्षेत्र और छात्र के लिए अपने अतिरिक्त लचीलेपन के साथ तीन भाषा का फॉर्मूला, निर्णय लेने के विकेंद्रीकरण के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और इस प्रकार, क्षेत्रीय ज़रूरतों के मुताबिक बदलाव करने की अनुमति देता है। हालांकि, “क्षेत्रीय” स्तर की योग्यता पर क्या खरे उतरता है, इसे लेकर स्पष्टता की ज़रूरत है क्योंकि इसका आदिवासी पृष्ठभूमि के छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो कभी-कभी व्यापक रूप से विविध भाषाओं वाले छोटे क्षेत्रों से आते हैं।

शिक्षा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल: एक अलग नीति की ज़रूरत

शिक्षा को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने से जुड़ी एनईपी 2020 की सलाह सकारात्मक है। एनईपी यह भी स्वीकार करता है कि “डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक कि डिजिटल विभाजन को समाप्त नहीं किया जाता” (पेज 58) और “शिक्षा क्षेत्र में मुक्त, अंतर संचालन योग्य, बदल सकने वाले, सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश करने” का आह्वान करता है (पेज 59)। इस प्रकार, एनईपी 2020 ऑक्सफ्रेम (व्यास, 2020) और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन (2020) की हालिया रिपोर्टों से स्पष्ट रूप से पता चलने वाले डिजिटल विभाजन को स्वीकार करता है। इस बात की मजबूत अनुशंसा

की जाती है कि डिजिटल माध्यम के ज़रिए शिक्षा के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए, अगर पहले नहीं तो डिजिटल विभाजन को पाटने के कदम साथ-साथ ही उठाए जाएं। हालांकि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (सार्थक) योजना के माध्यम से हाल ही में शुरू किए गए छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति को देखते हुए, समग्र शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध आईसीटी कोष का इस्तेमाल करने में ज़्यादा लचीलापन, प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रस्तावित एकमात्र कदम है (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), 2021, पृष्ठ 232)। इससे लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर संदेह पैदा होता है।

प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के एनईपी के लक्ष्य को साकार करने के लिए, भारत को एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी नीति की भी ज़रूरत है जो शिक्षा प्रणाली में सभी हितधारकों के लिए एक रोडमैप तय कर सके। जनवरी 2014 और सितंबर 2019 के बीच, भारत में 4,450 से ज़्यादा शिक्षा प्रौद्योगिकी (एडुटेक) स्टार्टअप शुरू किए गए, लेकिन उनमें से केवल 4.17% ही वित्त जुटाने में सफल रहे। भारत को इस उभरते हुए क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के मकसद से, ऑनलाइन शिक्षा की खातिर बच्चों के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में भी पहल करने की ज़रूरत है। इसे देखते हुए, एनईपी 2020 ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री, और क्षमता बढ़ाने के मकसद से डिजिटल शिक्षा के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया है (पेज 60)। यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार को एडुटेक क्षेत्र के लिए एक ओपन सोर्स लाइसेंसिंग मॉडल अपनाना चाहिए ताकि यह शैक्षणिक संस्थानों,

सार्वजनिक संस्थानों और गैर-लाभकारी संस्थाओं को मानकीकृत और परस्पर संबद्ध कार्य प्रौद्योगिकी तक पहुंचने में सक्षम बना सके (जोशी, 2021)।

भारतीय सांकेतिक भाषा का मानकीकरण: परामर्श और सहयोग करें

भारतीय सांकेतिक भाषा पर ध्यान केंद्रित करना और देश भर में इसे मानकीकृत करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, 2021, पेज 97) तय करना एक दूरदर्शी कदम है। हालांकि, स्थानीय सांकेतिक भाषाओं की पहचान और शिक्षण के संबंध में संबंधित कदमों का अभाव हस्तक्षेप की ज़रूरत को दर्शाता है। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज के पूर्व प्राचार्य डॉ. वी पी शाह का अनुमान है कि वर्तमान में, सुनने और बोलने की अक्षमता वाले 1% से भी कम लोगों के पास सांकेतिक भाषा में औपचारिक प्रशिक्षण है (खांडेकर, 2020)। सांकेतिक भाषाओं के मानकीकरण के प्रस्ताव से यह डर भी पैदा होता है कि एक बोली को दूसरे पर प्राथमिकता दी जा सकती है। देश के विभिन्न हिस्सों में सांकेतिक भाषाएं अलग-अलग हैं, और भारत के विविध और बहुभाषी चरित्र को बरकरार रखने के लिए मानकीकरण की प्रक्रिया परामर्शी और सहयोगी होनी चाहिए। सांकेतिक भाषा क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों ने यह भी विचार व्यक्त किया है कि मानकीकरण से ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषा में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता है (कालरा, 2020)।



03

मूल्यांकन और शिक्षण परिणामों का मापन

एनईपी 2020 में छात्रों के प्रदर्शन और क्षमता का आकलन करने के तरीके को बदलने का प्रस्ताव है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, प्रस्ताव देता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षक, छात्र और संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली को शिक्षण-पठन की प्रक्रियाओं में लगातार बदलाव करने में मदद करना होगा ताकि शिक्षण को अधिकतम स्तर पर ले जाया जा सके। मूल्यांकन की प्रकृति एक जगह जोड़े जाने से हट जाएगी और मुख्य रूप से रटने वाले संस्मरण की परीक्षा लेगी, जो कि अधिक नियमित और रचनात्मक है (पेज 17)।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) एक मानक-स्थापन निकाय के रूप में एक अलग राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) स्थापित करेगा, जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) करेगा और देश में शिक्षण परिणामों की उपलब्धि की निगरानी के लिए राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण (एसएस) का मार्गदर्शन करेगा (पेज 19)। एनएएस अन्य सरकारी निकायों के साथ उपयुक्त सहयोग के साथ शुरू किया जाएगा और एक नमूना आधारित मूल्यांकन होगा, जिसमें सरकारी और निजी दोनों स्कूल शामिल होंगे।

राज्यों को अपनी स्वयं की जनगणना-आधारित राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा (पेज 32)।

जब तक परख की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करना जारी रखेगा (पेज 32)। यदि वर्तमान एनएएस पद्धति का पालन किया जाए, तो हर जिले में स्कूल स्तर के नमूने, आकार के अनुपात में संभावना के मॉडल का इस्तेमाल करके तैयार किए जाएंगे, जैसा कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय छात्र उपलब्धि कार्यक्रम द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन को ग्रेड 3 और 5 में शामिल किया जाएगा, जबकि भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को ग्रेड 8 में शामिल किया जाएगा (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 2017, पेज 15)

राज्य एसएस के परिणामों का इस्तेमाल केवल विकासात्मक उद्देश्यों के लिए, स्कूलों द्वारा छात्रों से जुड़े उनके समग्र और अज्ञात परिणामों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण और स्कूली शिक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार के लिए करेंगे (पेज 32)। सार्थक

की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, एसएएस 2022 से शुरू होने वाले हर वैकल्पिक वर्ष में आयोजित किया जाएगा, जबकि एसएएस 2021-2027 के बीच हर दूसरे वर्ष में आयोजित किया जाएगा (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, 2021, पेज 45)। हालांकि, नीति में इस पर कुछ नहीं कहा गया है कि अतिरिक्त सर्वेक्षणों को कैसे वित्त पोषित किया जाएगा और लागत का अनुमान क्या होगा।

इसके अलावा, स्कूल के सभी वर्षों में प्रगति का पता लगाने के लिए, सभी छात्र ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देंगे जो उपयुक्त प्राधिकारिण द्वारा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षाएं वास्तविक जीवन की स्थितियों में उच्च-क्रम कौशल और ज्ञान के इस्तेमाल के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं स्थानीय पाठ्यक्रम से हासिल किए गए मूल अवधारणाओं और ज्ञान का आकलन करके बुनियादी शिक्षण परिणामों की जाँच करेंगी (पेज 18)।

सार्थक योजना में स्कूल आधारित मूल्यांकन (एसबीए) का उल्लेख है जो “शिक्षण एवं पठन के माहौल के एक अभिन्न हिस्से का निर्माण करेगा और इसे शिक्षण एवं पाठन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि स्कूल में एक गैर-खतरनाक, तनाव मुक्त, साथ सीखने का माहौल सुनिश्चित किया जा सके (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, 2021, पेज 48)। नीति के अनुसार, एसबीए के लिए प्रगति कार्ड को राज्यों द्वारा परख, एनसीईआरटी और राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के मार्गदर्शन में पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा, और शिक्षार्थी के पूरे प्रोफाइल की जानकारी देगा। इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा क्षेत्रों में छात्र की विशिष्टता, आत्म मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, परियोजना-आधारित एवं पूछताछ आधारित शिक्षा में प्रगति और शिक्षक मूल्यांकन शामिल होंगे (पेज 18)।

जहाँ बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, कोचिंग कक्षाएं शुरू करने की ज़रूरत को खत्म करने और समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारूप में सुधार किया जाएगा। परीक्षाओं को “आसान” बनाया जाएगा ताकि वे केवल छात्र की प्राथमिक दक्षताओं की जांच करें। इस प्रकार, स्कूल में एक

सामान्य कोशिश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए काफी होगी। दबाव को और कम करने के लिए, छात्र को दो बार बोर्ड परीक्षा देने की मंजूरी दी जाएगी, एक मुख्य परीक्षा होगी जबकि ज़रूरत पड़ने पर दूसरी परीक्षा ली जाएगी ताकि छात्र के प्रदर्शन में सुधार का पता लगाया जा सके। छात्र अपनी रुचि के अनुसार कई विषयों का चयन कर सकेंगे। इन चीजों के अलावा, बोर्ड परीक्षा में छात्रों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए और भी कदम उठाए “जा सकते हैं”, जैसे कि मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था, जहाँ पाठ्यक्रम पूरा होने के ठीक बाद परीक्षा आयोजित की जाती है। सभी विषयों को दो स्तरों पर पेश किया जा सकता है: मानक और उच्चतर, और कुछ विषयों में परीक्षा को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है: एक बहुविकल्पीय प्रश्न भाग और एक वर्णनात्मक भाग (पेज 18)।

शिक्षण परिणामों पर आधारित निर्देश: संतुलन बनाने की ज़रूरत

स्कूली शिक्षा प्रणाली की निगरानी और सुधार के लिए शिक्षण परिणामों का इस्तेमाल करना उचित है। ज़्यादातर छात्र शिक्षण परिणामों को “उपयोगी शिक्षण सहायता” के रूप में देखते हैं जो “उन्हें अपने पढ़ाई का समर्थन करने के लिए विभिन्न तरीकों से मदद करते हैं” (सारा और अन्य, 2014)। मूल्यांकनों से हितधारकों को यह आश्वासन हासिल करने में मदद मिलती है कि छात्रों ने अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है तथा वे रोजगार और/या आगे के अध्ययन के लिए तैयार हैं (कोट्स, 2016, पेज 1)। छात्रों के शिक्षण के संबंध में प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय आधिकारिक मूल्यांकन के अभाव में, एनएएस और एसएएस प्रभावी शासन के लिए आंकड़े प्रदान करना जारी रखेंगे। चूंकि नीति मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) को मजबूत करने पर जोर देती है, इसलिए यह अनुशांसा की जाती है कि एनएएस एनआईओएस जैसी ओपन स्कूलिंग द्वारा प्रदान किए गए छात्रों के शिक्षण के स्तर का भी आकलन करे। इस तरह के आंकड़े सूचना के अंतर को पाट देंगे जो वर्तमान में ओडीएल की



प्रभावकारिता का आकलन करना कठिन बना देता है।

हालांकि, मानकीकृत मूल्यांकनों का इस्तेमाल करने को लेकर सावधान रहना चाहिए। ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि केवल शिक्षण परिणामों (हसी और स्मिथ 2002, 2003, 2008, 2010) पर भरोसा करने से बचना चाहिए। शिक्षण परिणामों पर निर्भरता “ध्यान को कम भी कर सकती है और विस्तारित शिक्षा को रोक सकती है” (सारा और अन्य, 2014)। शिक्षा के केवल एक पहलू पर ज़्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है और मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार के शिक्षा परिणाम होने चाहिए जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इनमें बौद्धिक कौशल (प्रक्रियात्मक ज्ञान), मौखिक जानकारी (घोषणात्मक ज्ञान), संज्ञानात्मक रणनीतियाँ (कार्यकारी नियंत्रण प्रक्रियाएं), मोटर कौशल और दृष्टिकोण शामिल हैं (गैग्रे, 1984)। इस प्रकार, भाषा प्रवाह और गणित से संबंधित परिणामों पर अधिक निर्भरता से हम एनईपी में परिभाषित शिक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहेंगे। इन लक्ष्यों में सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताएं और स्वभाव शामिल हैं (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पेज 4)। हालांकि, एनईपी के अनुसार, मूल्यांकन में रटने की स्मृति आधारित जाँच से अधिक नियमित और प्रारंभिक जांच (पेज 17) में बदलाव होगा जो सही

दिशा में उठाया गया एक कदम हो सकता है।

समग्र रिपोर्ट कार्ड: खतरों से सावधान रहें

एनईपी में कहा गया है कि नए प्रस्तावित रिपोर्ट कार्ड में एक “समग्र, चौतरफा (360-डिग्री), बहुआयामी रिपोर्ट शामिल होगी जो कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर (मोटर कौशल, समन्वय एवं शारीरिक गतिविधि का इस्तेमाल) क्षेत्रों में हर छात्र की प्रगति और विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाती है।” इसमें शिक्षक मूल्यांकन के अलावा स्व-मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और परियोजना-आधारित एवं सवाल-आधारित शिक्षा, समूह कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि में बच्चे की प्रगति शामिल होगी। इस प्रकार, नया मॉडल पहले के सतत व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के सर्वोत्तम घटकों को आत्मसात करता है और अधिक समग्र मूल्यांकन पेश करता है। यह उन ज़्यादा पूर्ण गतिविधियों को शामिल करने का समर्थन करता है जिनमें स्कूलों के छात्र लगे हुए हैं, और एक साथ जोड़े गए अंकों के महत्व को कम करता है (सेनगुप्ता, 2020)। जहाँ तक इस नई मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव का संबंध है, एनईपी 2020 में कहा गया है कि एनसीईआरटी द्वारा एससीईआरटी, मूल्यांकन बोर्ड और अन्य जैसे

प्रमुख हितधारकों के परामर्श से इसके लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 तक शिक्षकों को इस मूल्यांकन प्रणाली के लिए तैयार किया जाएगा (पेज 18)। हालांकि, यह बदलाव कैसे होगा, इसे लेकर यह कोई विस्तृत रोडमैप प्रदान नहीं करता।

पाठ्यक्रम के संबंध में, “रचनात्मक/अनुकूल मूल्यांकन” को शामिल करने के लिए बना एक नया स्वरूप यह नहीं बताता है कि यह सीसीई से कैसे अलग होगा, और प्रणाली सीसीई की खामियों से कैसे निपटेगी (यज्ञमूर्ति, 2017)। इसी तरह, हालांकि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान देना एक सकारात्मक कदम है, यह इस बात को लेकर कुछ नहीं कहता कि नया पाठ्यक्रम पहले से मौजूद पाठ्यक्रम से कैसे अलग होगा। अब भी, प्रारंभिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम छात्रों के बुनियादी पाठ और गणित कौशल के निर्माण पर केंद्रित है, जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 2005) में अनुशंसित किया गया था। यह साफ नहीं है कि नीति उनसे एक कदम आगे जाएगी या नहीं और जाएगी तो कैसे जाएगी।

कौन करेगा ग्रेड 3-5-8 का मूल्यांकन?

यह नीति इस बात का कोई संकेत नहीं देती है कि ग्रेड 3-5-8 का मूल्यांकन कौन करेगा और क्या वे एनएएस, एसएएस और एसबीए से अलग होंगे। सार्थक योजना यह स्पष्ट संकेत नहीं देती है कि ये मूल्यांकन कैसे किए जाएंगे। व्यापक रिपोर्ट कार्ड के तहत, यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षक मूल्यांकन, परियोजना की प्रगति और सवाल-आधारित शिक्षा में प्रगति से कैसे अलग हैं और यह किन खास पहलुओं पर ध्यान देगा।

बोर्ड परीक्षाओं को “आसान” बनाना: क्या लक्ष्य सही है?

हालांकि नीति बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कुछ उपयोगी सिफारिशें करती है, मुख्य ध्यान परीक्षा को “आसान” बनाने के बजाय प्राथमिक दक्षताओं

की जांच करने पर होना चाहिए। हालांकि विषयों की पसंद और बेस्ट ऑफ टू अटेंप्स (दो में से सर्वश्रेष्ठ प्रयास) जैसे कदम परीक्षा से जुड़े दबाव को कम करेंगे, परीक्षा के प्रश्नों में बदलाव नहीं किया गया तो शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होगा। वर्तमान परिदृश्य में, जहां छात्र साहित्य जैसे विषयों में भी 100% अंक हासिल कर लेते हैं, यह चिंताजनक है और समस्या “जिस तरह से प्रश्न सेट किए गए हैं और इसके लिए मॉडल उत्तर विकसित किए गए हैं” इसमें निहित है (शाह, 2019)।

अग्रिमपंक्ति की शैक्षणिक नौकरशाही: एक स्पष्ट समस्या

शिक्षा प्रणाली की निगरानी और सुधार के लिए शिक्षण परिणामों पर जोर देने वाले सुधार लाने में, संगठनात्मक संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा प्रणाली में सुधारों को शामिल करने के लिए, संगठनात्मक संस्कृति की गतिशीलता के अनुसार प्रयास किए जाने चाहिए और “सेवा वितरण के मानदंडों के हिसाब से पेशेवर पहचान का निर्माण करने में निवेश किया जाना चाहिए” (अय्यर और अन्य, 2015)। तीन अलग-अलग प्रबंधन प्रक्रियाएं: “भर्ती; नए रंगरूटों का समाजीकरण एवं प्रशिक्षण और अंत में, कार्य प्रक्रियाओं के बारे में लाइन एजेंटों तथा प्रबंधकों के बीच नियमित चर्चा एवं संवाद” इस संबंध में संगठनात्मक संस्कृतियों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं (पियोर, 2011)। पियोर ने चर्चा और संवाद की केंद्रीय भूमिका पर ज़्यादा जोर दिया है।

जमीनी स्तर पर मूल्यांकन के कार्यान्वयन के लिए, एनईपी 2020 को इन चीजों के अनुरूप अग्रिम पंक्ति की शैक्षणिक नौकरशाही में सुधारों पर जोर देना चाहिए।



04

स्कूलों के लिए नियामक संरचना

एनईपी 2020 के अनुसार, इनपुट पर अधिक जोर दिया जाएगा और जमीनी हकीकत के हिसाब से ज़रूरतों को और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया जाएगा, जैसे कि भूमि क्षेत्रों, कमरे के आकार एवं शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदानों की व्यावहारिकता से जुड़ी ज़रूरतें। नीति हर स्कूल, सुरक्षा के लिए उपयुक्त लचीलापन छोड़ने के लिए अधिकारों को समायोजित करेगी, और एक सुखद एवं उत्पादक शिक्षण स्थल सुनिश्चित किया जाएगा (पेज 32)। 2021-23 तक, राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना करेंगे कि सभी स्कूलों द्वारा बुनियादी मापदंडों के आधार पर न्यूनतम मानकों का पालन किया जाए⁴। एससीईआरटी, विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से शिक्षकों और स्कूलों के परामर्श से इन मापदंडों का निर्माण करेगा (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, 2021, पेज 174)। ऑनलाइन पहुंच और वार्षिक चक्र के साथ एक प्रभावी स्व-विनियमन या मान्यता प्रणाली स्थापित की जाएगी ताकि यह एक नियामक व्यवस्था को लागू करने में सक्षम हो, जिसमें ज़रूरी होने पर स्कूल चलाने की मंजूरी वापस लेना शामिल है (स्कूल शिक्षा और

साक्षरता विभाग, 2021, पेज 178)।

पब्लिक स्कूलों (केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित/सहायता प्राप्त/नियंत्रित स्कूलों को छोड़कर) और निजी स्कूलों का मूल्यांकन और उन्हें मान्यता देना समान मानदंड और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक घोषणा और पारदर्शिता पर जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित/प्रबंधित/सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए, सीबीएसई एमएचआरडी के परामर्श से एक रूपरेखा तैयार करेगा। सभी स्कूलों को “गैर-लाभकारी” इकाई के समान ऑडिटिंग मानकों और घोषणाओं का भी पालन करना होगा (पेज 32)।

बराबरी के मुकाबले का स्वागत करें

सभी स्कूलों के लिए जवाबदेही के समान मानकों की व्यवस्था एक स्वागत योग्य कदम है। इस तरह का कदम बराबरी की प्रतिस्पर्धा तय करता है (सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, 2019ए) और जैसा कि एनईपी 2020 कहता है, यह “सुनिश्चित करेगा


4. यानी, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, विषयों और ग्रेड में शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी और शासन की मजबूत प्रक्रियाएं

कि सार्वजनिक भावना से भरे निजी स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए और किसी भी तरह से दबाया न जाए” (पेज 32)। यह सुनिश्चित करता है कि सभी स्कूलों को एक ही मानक पर तौला जाए क्योंकि उनका उद्देश्य समान है यानी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना। यह तब है जब भौतिक बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों के हिसाब से सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन अगर बदतर नहीं तो निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की ही तरह खराब है। उदाहरण के लिए, हालांकि 85% निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बिजली है, केवल 70% सरकारी स्कूलों में ही यह सुविधा है; जहाँ 14%

निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में चारदीवारी नहीं है, 38% सरकारी स्कूलों में चारदीवारी नहीं है; और जहाँ 86 प्रतिशत निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में खेल का मैदान है, केवल 71 प्रतिशत सरकारी स्कूल ही इस ज़रूरत को पूरा करते हैं (यूडीआईएसई, 2018-19)।

केंद्रीय विद्यालयों के नियमन के संबंध में, हालांकि सीबीएसई शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के साथ मिलकर विनियमन के लिए संरचना तैयार करेगा, नीति में इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है कि स्कूलों का विनियमन कौन करेगा। एक से ज़्यादा राज्यों में

Fig 2: Percentage of schools with infrastructure facilities



मौजूदगी वाले स्कूलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक अलग नियामक निकाय की ज़रूरत (एसएसएसएस के बराबर) है। यह न केवल केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों को बल्कि उन स्कूलों पर भी ध्यान देगा जिनकी कई राज्यों में शाखाएं हैं।

के-12 वर्ग में निजी निवेश को मंजूरी दें

एनईपी 2020 इस बात की वकालत करता है कि स्कूलों को “गैर-लाभकारी” संस्थाओं के रूप में

चलाया जाए और परोपकार सेवा प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए। कुछ विद्वान निजीकरण को “उन समुदायों के लिए समस्याग्रस्त मानते हैं जो समाज के निचले क्रम में आते हैं” (रिज़वी, 2016)। शिक्षा संस्थान न केवल शिक्षा और कौशल के लिए होते हैं, बल्कि लोगों के बीच बातचीत एवं संपर्क के लिए भी होते हैं, इनमें अंतर-पीढ़ीगत और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही संपर्क शामिल हैं (बेतेल 2005)। व्यावसायिक विचारों, सामाजिक सरोकारों को अकादमिक मूल्यों की और व्यक्तिगत हितों को उद्देश्यों की, तथा अल्पकालिक मांग को



दीर्घकालिक ज़रूरतों की जगह देने के गंभीर परिणाम होंगे (तिलक, 2008)⁵। शिक्षा सेवा की समानता से जुड़ी चिंताओं और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना ज़रूरी है (रिज़वी, 2016)।

यह एक व्यापक रूप से स्वीकृत विचार है कि पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित शिक्षा अब और व्यावहारिक नहीं है। इसलिए निजी क्षेत्र के इनपुट ज़रूरी हैं और वे शिक्षा प्रणाली को काफी लाभ पहुंचा सकते हैं (रिज़वी, 2016)। यहाँ तक कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है कि “निजी भागीदारी की व्यवस्था करने के लिए ज़रूरी विधायी उपाय शुरू किए जाने चाहिए और शिक्षा में पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के लिए व्यवहार्य मॉडल जल्द से


जल्द तैयार किए जाने चाहिए” (योजना आयोग, 2011, पेज 141)। जैसा कि सवस (2000) ने कहा है, निजी कंपनियों के कई लाभ हो सकते हैं, इनमें वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता से लेकर अधिक लागत प्रभावी शासन और नियंत्रण तक कई लाभ शामिल हैं। यह तर्क दिया जाता है कि स्कूल प्रणाली, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को मंजूरी देने से दक्षता और उत्पादकता में संभावित लाभ हासिल कर लाभान्वित हो सकती है (बॉम और अन्य, 2014)। हालांकि कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि, निजी क्षेत्र का प्रदर्शन, सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए समायोजित किए जाने पर भी, मानकीकृत जाँचों पर हासिल होने वाली उपलब्धि की तुलना में सरकारी स्कूलों से बेहतर है (देसाई और अन्य, 2008; फ्रेंच और गांधी, 2010); अन्य अध्ययनों (चुडगर और क्विन, 2012) में

5. हालांकि यह लेख उच्च शिक्षा के बारे में तर्क देता है, लेकिन यह तर्क स्कूली शिक्षा पर भी लागू किया जा सकता है।



दलील दी गयी है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के लिए समायोजित होने पर अपने सरकारी समकक्षों के समान प्रदर्शन करते हैं। हालांकि कुछ अध्ययनों से पता चला है कि सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में शिक्षक अनुपस्थिति कम है और प्रति छात्र बिताया जाने वाला समय ज़्यादा है (किंगडन और बनर्जी, 2009)। इसके अलावा, विकासशील दुनिया और कई विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, यूके, कनाडा, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और कई अन्य (ईवाई और पार्थेनन) में कानूनी रूप से, में लाभ के लिए स्कूल चलाने की मंजूरी है (ईवाई और पार्थेनन 2019)। लाभ कमाने के लिए शिक्षा देने के खिलाफ एक तर्क यह दिया जाता है कि निजी संस्थान गलत तौर-तरीकों का इस्तेमाल करते हैं (तिलक, 2011)। हालांकि, कुछ के इस व्यवहार के लिए सभी लाभकारी उपक्रमों पर प्रतिबंध लगाना, एक सॉफ्टवेयर कंपनी (जैसे सत्यम) के अपने शेयरधारकों को धोखा देने के बाद सभी सॉफ्टवेयर कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने

के समान अनुचित होगा (नारंग, 2019)। लाभकारी निजी स्कूली शिक्षा के खिलाफ एक और तर्क यह दिया जाता है कि चूंकि निजी स्कूल सब्सिडी और रियायतें लेते हैं, इसलिए उन्हें लाभ कमाने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए (तिलक, 2011)। हालांकि, यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि निजी स्कूलों को कंपनियों के रूप में पंजीकरण कराने दिया जाए और बाजार से पूंजी जुटाने की मंजूरी दी जाए, तो उन्हें सब्सिडी और रियायतों की जरूरत नहीं होगी (नारंग, 2019)। हालांकि भारतीय अदालतों ने शिक्षा संस्थानों को अधिशेष का सृजन करने की मंजूरी दी है, लेकिन इसने उन्हें अधिशेष को वापस संस्थानों में डालने के लिए कहा है। विविधता और नवाचार को कमतर करने वाले, और दान-आधारित शिक्षा को सही ठहराने वाले इस न्यायिक विनियमन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है (कपूर और खोसला, 2011)।




05

सरकार के कार्यों का पृथक्करण

एनएपी 2020 इन तरीकों से कार्यों के पृथक्करण का प्रस्ताव देता है:

1. एनसीईआरटी एससीईआरटी का मार्गदर्शन करेगा, जो राज्य में शैक्षणिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामलों को संभालेगा। एससीईआरटी सभी हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और मान्यता संरचना विकसित करेगा।
2. हर राज्य में मूल्यांकन/परीक्षा बोर्ड स्कूल छोड़ने के चरण में छात्रों की दक्षताओं के प्रमाणीकरण का काम संभालेंगे और नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख, शिक्षा प्रणाली की कुशलता की जाँच करने के लिए समय-समय पर नमूना-आधारित एनएसएस का संचालन करेगा (पेज 31)।
3. स्कूल शिक्षा विभाग समग्र निगरानी और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा जबकि स्कूल शिक्षा निदेशालय पूरे राज्य की सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए शैक्षणिक संचालन और सेवा प्रावधान का काम संभालेगा।
4. स्वतंत्र राज्य-व्यापी निकाय एसएसएसए यह सुनिश्चित करेगा कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम पेशेवर और गुणवत्ता मानकों का पालन करें। यह सुरक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे बुनियादी मानकों के आधार पर मानक भी स्थापित करेगा, जिनका सभी स्कूलों द्वारा पालन करने की उम्मीद की जाएगी।



कार्यों का पृथक्करण = बेहतर जवाबदेही

वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें सीबीएसई और राज्य बोर्ड के माध्यम से मानकीकृत मूल्यांकन सहित वित्तपोषण (तिलक, 2002, पेज 12-13) और मूल्यांकन कार्यों के साथ-साथ नियामकीय कार्य (सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, 2019ए) करती हैं। स्थानीय सरकार सहित सरकार के सभी तीन स्तर, सेवा के वितरण यानी सरकारी स्कूलों के संचालन के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार हैं (सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, 2019ए)।

परिशिष्ट 1 के-12 शिक्षा क्षेत्र में वर्तमान निकायों और उनके संबंधित कार्यों को दर्शाता है। इन विभागों के अधिकारी परस्पर विपरीत कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा निदेशक अनुपालन, प्रवर्तन के साथ-साथ सेवा वितरण के लिए भी जिम्मेदार है। नियामक और सेवा वितरण

जिम्मेदारियों की इस तरह की मौजूदगी प्रतिस्पर्धा को दबाने को प्रोत्साहन दे सकती है। इसी तरह, जिला शिक्षा अधिकारी विनियमन, सेवा वितरण के साथ-साथ मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। यह फिर से हितों का टकराव है जहाँ सेवा प्रदाता ही सेवा की गुणवत्ता को मापने के लिए जिम्मेदार है (आनंद और सुधाकर, 2020; सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, 2019बी)।

सरकार के कार्यों को अलग करने का यह एक स्वागत योग्य फैसला है। हितों का टकराव, जैसे कि पिछले पैराग्राफ में रेखांकित किया गया है, नियामक तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जहां बाजार की एक ही इकाई न केवल स्व-विनियमन करती है, बल्कि अपनी प्रतिस्पर्धा को भी नियंत्रित करती है। राज्य विभाग की वर्तमान संरचना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करती है कि: “किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए।” जब शासन के ऐसे


| Responsibilities per Function | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------|------------|
| | Regulatory | | | Service Delivery | Financing | Assessment |
| | Rule-making | Compliance | Enforcement | | | |
| Director of Education | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Deputy Director of Education | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| District Education Officer | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Local Authority | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

चित्र 3: पांच राज्यों (महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश) में पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां (आनंद और सुधाकर, 2020)

मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है, तो यह लोक प्रशासन की कई व्यावहारिक समस्याओं को जन्म देता है (पटनायक और शाह, 2014)।

सरकार की भूमिकाओं के पृथक्करण के अपने गुण हैं और ऐसा अन्य शिक्षा प्रणालियों में देखा गया है। चिली में, शिक्षा मंत्रालय वह केंद्रीय प्राधिकरण है जो देश में शिक्षा की देखरेख करता है। 2012 में पारित एक कानून ने शक्तियों के पृथक्करण को लागू किया और देश के शिक्षा मंत्रालय के कई कार्यों को दोबारा अन्य एजेंसियों को सौंप दिया। इसने बेहतर प्रवर्तन और जवाबदेही के लिए दो एजेंसियां भी बनाईं-सुपरीटेंडेंस ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी(नेशनल लैबोरेट्री फोर हाई परफोर्मेंस कंप्यूटिंग, 2018; पोट और अन्य 2013)।

ब्रिटेन में शिक्षा विभाग, 18 स्वतंत्र एजेंसियों (ब्रिटेन सरकार, 2018) द्वारा समर्थित केंद्रीय प्राधिकरण है और पूरे देश में शिक्षा की देखरेख करता है। सेवा वितरण स्थानीय शिक्षा प्राधिकरणों द्वारा वित्तपोषित पब्लिक स्कूलों के माध्यम से किया जाता है जबकि अनुपालन दो निरीक्षण एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है- ऑफिस ऑफ़ क्वालिफिकेशंस एंड एक्जामिनेशंस रेगुलेशन (योग्यता और परीक्षा विनियमन कार्यालय) तथा ऑफिस फ़ोर स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन (शिक्षा मानक कार्यालय) - जो सीधे संसद को रिपोर्ट करते हैं।



06

शुल्क विनियमन

एनईपी 2020 में कहा गया है कि जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निजी परोपकार सेवा प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं माता-पिता और समुदायों को शुल्क में मनमानी वृद्धि से बचाया जाएगा (पेज 32)। हालांकि, नीति में इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया कि सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी। अगर कोई उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए निर्धारित मानदंडों को देखे तो यह समझ सकता है कि दस्तावेज विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए “ऊपरी सीमा” के साथ शुल्क तय करने के लिए पारदर्शी तंत्र का समर्थन करते हैं (पेज 49)। इस प्रकार, संस्थान स्वतंत्र रूप से “निर्धारित मानदंडों” और “व्यापक रूप से लागू होने वाले नियामक तंत्रों” के भीतर शुल्क निर्धारित करने में सक्षम होंगे (पेज 49)। इसी तरह की प्रक्रिया स्कूली शिक्षा संस्थानों के लिए भी लागू हो सकती है।

एनईपी 2020 छात्रों के शैक्षिक परिणामों के साथ-साथ शैक्षणिक, वित्तीय और परिचालन मामलों के प्रकटीकरण को उचित महत्व देता है (पेज 32)। यह “पूर्ण पारदर्शिता के प्रवर्तन और सभी वित्त, प्रक्रियाओं और शैक्षिक परिणामों के पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से प्रणाली की एकाग्रता” (पेज 30) सुनिश्चित करने और माता-

पिता को स्कूलों का चयन करते समय पूरी समझ के साथ बेहतर फैसले लेने में मदद करने के लिए है।

“मनमाने शुल्क” को परिभाषित नहीं किया गया है

एनईपी 2020 यह परिभाषित नहीं करता है कि मनमानी वृद्धि क्या होगी। यह इन चीजों को लेकर किसी भी आंकड़े या अध्ययन का हवाला नहीं देता है: (i) मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि करने वाले स्कूलों की संख्या; (ii) विनियमों और बोर्ड की मान्यता के संबंध में अनुपालन की लागत, और (iii) शुल्क वृद्धि को रोकने वाले मौजूदा राज्य स्तरीय कानून प्रभावी रहे हैं या नहीं।

भारत में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निजी स्कूलों में फीस (शुल्क) के संग्रह को नियंत्रित करने वाले अधिनियम हैं। कुछ राज्य, जैसे दिल्ली, फीस को विनियमित करने के लिए आदेश और परिपत्र (सर्कुलर) लागू करते हैं। बिहार, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में शुल्क वृद्धि की सीमा है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में अनुमोदन के लिए शुल्क नियामक समितियां हैं। उत्तर प्रदेश में

शुल्क वृद्धि के लिए एक फ़ॉर्मूला (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक + पिछले वर्ष शुल्क का 5%) है।

शुल्क पर नियंत्रण से नवोन्मेष पर असर पड़ता है

एक “फ़ॉर्मूला” निर्धारित करके, सरकार स्कूलों को यथासंभव पूरी सीमा तक फ़ीस बढ़ाने और मूल्य भेदभाव को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है (निटेल और स्टैगो, 2003)। जैसे-जैसे स्कूल के मालिक प्रतिस्पर्धी बाजारों की कठोर वास्तविकताओं से सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ देखना शुरू करते हैं (ग्रेसन, 1974), यह स्कूलों के लिए माता-पिता की मांगों का जवाब देने के लिए प्रोत्साहन को कम करता है, और अन्य क्षेत्रों में देखे जाने वाले पेशकश की विविधता को कम करता है (शीहान, 1961; मा, 2007; निटेल एंड स्टैगो, 2003)। इसके अलावा, यह निजी क्षेत्र में शिक्षा में निवेश को कम करता है।

फीस वृद्धि पर सीमा लगाने से स्वाभाविक रूप से निजी स्कूलों के लिए लागत के बराबर राजस्व हासिल करना मुश्किल हो जाता है। फीस पर सीमा के साथ, स्कूलों को नवोन्मेष को बंद करना होगा (मर्फी, 1980)। ज़्यादातर राज्य शुल्क को विनियमित करने के लिए मूल्य सीमा का इस्तेमाल करते हैं। बिना किसी रोकटोक वाले बाजारों में, बाजार की कीमतें आपूर्ति और मांग के बीच समन्वय स्थापित करते हैं तथा मौजूदा संसाधनों का कुशलतापूर्वक नियंत्रित वितरण करती हैं। मूल्य पर लगायी जाने वाली सीमा बाजार मूल्य में हेराफेरी करके इस प्रक्रिया को विकृत करती है और पारस्परिक रूप से लाभकारी आदान-प्रदान को रोकती है (कॉइन एंड कॉइन, 2015)।

फीस पर सीमा लगाने से स्कूल तक पहुंच पर असर पड़ता है

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुचित रूप से ज़्यादा फ़ीस लेने की शिकायत केवल कुछ निजी स्कूलों के मामलों में ही प्रासंगिक है। कम लागत वाले निजी स्कूलों के लिए, कीमतों में वृद्धि की कोई संभावना नहीं देखने वाले शिक्षकों को लागत

में कटौती करनी पड़ती है और वे कुशलता से काम नहीं कर पाते हैं। नतीजतन बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है (संतोष, 2014, पेज 6)। इस प्रकार, फ़ीस पर सीमा लगाने से निजी स्कूल का तंत्र कमजोर हो जाएगा, और बहुत सारे छात्रों को शिक्षा तक पहुंच नहीं मिलेगा, जबकि सरकारी बुनियादी ढांचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते समय उन्हें अपने साथ जोड़ने में असमर्थ है।

शुल्क नियंत्रण छोटे स्कूलों के लिए कुछ नया करना, वृद्धि करना और विस्तार करना मुश्किल बना देता है। छोटे स्कूल जल्दी या बाद में बंद हो जाएंगे, बाजार को केवल बड़े निजी स्कूलों के लिए छोड़ दिया जाएगा जो कीमत के अलावा अन्य कारकों के लिहाज से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। इस प्रकार, जहाँ सरकार द्वारा फ़ीस पर सीमा लगाने का उद्देश्य उन माता-पिता की मदद करना है जो बड़े निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली ऊँची फ़ीस का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, यह बहुत बड़े स्कूलों को उनके लिए एकमात्र विकल्प बना देता है। शुल्क पर नियंत्रण से प्रतिस्पर्धा कम होती है, और बाजार में कुछ बड़ी इकाइयों का प्रभुत्व होता है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को मूल्य निर्धारण से बचना चाहिए और इसके बजाय सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे माता-पिता को एक सही विकल्प प्रदान कर सकें। फीस से जुड़े अभिभावक-विद्यालय विवादों को रोकने के लिए प्रकटीकरण को तरजीह दी जानी चाहिए। “शैक्षिक परिणामों के पारदर्शी प्रकटीकरण” के साथ-साथ “वित्त” और “प्रक्रियाओं” (पेज 30) से जुड़ी एनईपी 2020 की सिफारिश को देखते हुए, स्कूलों को प्रवेश के समय, हर वर्ग के लिए पिछले तीन वर्षों की शुल्क संरचना, वर्तमान शुल्क संरचना की घोषणा करनी चाहिए। स्कूलों को भविष्य में शुल्क वृद्धि की गणना के लिए संकेत या फ़ॉर्मूला की भी घोषणा करनी चाहिए। यदि स्कूल कभी भी प्रकटीकरण में दर्शाए गए शुल्क से अधिक फीस बढ़ाता है, तो माता-पिता के पास अदालत में उसकी गलत बयानी पर सवाल उठाने का विकल्प होना चाहिए।



07

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

एनईपी 2020 शुरुआती वर्षों में उचित देखभाल और मस्तिष्क को उत्तेजित करने के महत्व को स्वीकार करते हुए, 2030 तक जल्द से जल्द गुणवत्ता प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सार्वभौमिकरण की कल्पना करता है (पेज 7)। इस संबंध में, एनसीईआरटी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (एनसीपीएफईसीई) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा, जो दो आयु समूहों- 0-3 वर्ष और 3-8 वर्ष की आयु पर ध्यान देगा और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल पर नवीनतम शोध और शिक्षा (ईसीसीई), तथा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के साथ संरेखित होगा। इसके अलावा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के दायरे को प्राथमिक विद्यालयों में “प्रारंभिक कक्षाओं” (ग्रेड 1 से पहले) तक बढ़ाया जाएगा (पेज 7-8)।

एनईपी 2020 सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जिलों और स्थानों को प्राथमिकता देता है। यह निम्नलिखित चीजों के माध्यम से ईसीसीई के वितरण की सिफारिश करता है: (क) एकल आंगनवाड़ी; (ख) प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ी; (ग) मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित पूर्व-प्राथमिक विद्यालय/अनुभाग जो कम से कम 5 से 8 वर्ष की आयु को शामिल करते हैं; और (घ) एकल प्री-स्कूल। ये स्कूल ईसीसीई में पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के लिए विशेष रूप से

प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करेंगे। इसके अलावा, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आश्रमशालाओं में और अन्य स्कूलों की तरह एकीकरण के लिए उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए चरणबद्ध तरीके से वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के सभी स्वरूपों में ईसीसीई की शुरुआत की जाएगी।

ईसीसीई पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र की जिम्मेदारी एमएचआरडी के पास होगी, जिसे अब एमओई नाम दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय एक विशेष संयुक्त कार्य बल के माध्यम से योजना निर्धारण और कार्यान्वयन करेंगे।

प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास पर बहुप्रतीक्षित जोर लेकिन वित्तपोषण पर मौन

एनईपी 2020, बाल्यावस्था देखभाल को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के दायरे में शामिल करके सही दिशा में एक कदम उठाता है, इससे आजीवन सीखने में बच्चे के पहले छह वर्षों के महत्व का पता चलता है (सिल्वा और अन्य, 2010; बार्नेट और अन्य, 2002)। एक ही आयु वर्ग के लिए उच्च कुपोषण दर के साथ मध्याह्न भोजन योजना के तहत पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं को शामिल करना



और वैश्विक पोषण लक्ष्यों (वैश्विक पोषण रिपोर्ट, एन डी) की दिशा में धीमी प्रगति करना भी स्वागत योग्य है।

नीति एक अलग खेल-आधारित पाठ्यक्रम ढांचे और छह महीने के प्रमाणन कार्यक्रम के तहत ईसीसीई शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ-साथ ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से उपलब्ध है। पिछले शोध ने बाल्यावस्था शिक्षा में इस तरह के खेल के महत्व को दस्तावेज में अच्छी

तरह से दर्ज किया है (लिफ्टर और अन्य, 2011; बुरिस और त्साओ, 2012; बोड्रोवा और लेओंग, 2005)।

नीति यह सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर देती है कि आदिवासी क्षेत्रों में ईसीसीई प्रदान किया जाए, जिसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हालांकि, यह ध्यान किस तरह का हो सकता है, यह समझाने में नीति पूरी तरह सफल नहीं होती। अपनी ताकत के बावजूद,

एनईपी 2020 आंगनवाड़ियों के छात्र-शिक्षक अनुपात को लेकर स्पष्टता प्रदान नहीं करता है और यह भी साफ नहीं करता कि क्या हर आंगनवाड़ी को एक शिक्षक एवं एक सेविका (सहायक) प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि आरटीई अधिनियम के विस्तारित दायरे का कैसे वित्त पोषित किया जाएगा।


पोषण देखभाल ढांचे के बारे में क्या?

नीति में एक बड़ी खाई बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की कल्पना करने का तरीका है। हालांकि यह नीति प्रारंभिक शिक्षा के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, लेकिन यह पोषण देखभाल ढांचे (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2018) के अन्य महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान देने में नाकाम रहती है। ईसीसीई नीति को वास्तव में समग्र होने के लिए, स्कूल से परे देखना चाहिए और बच्चे की शिक्षा के व्यापक माहौल पर विचार करना चाहिए। पोषण देखभाल ढांचा (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2018) एक बच्चे के प्रारंभिक विकास में माता-पिता, परिवारों और देखभाल करने वालों की भूमिकाओं पर जोर देता है, नीतियों के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है जिससे उन्हें मदद मिल सकती है। यह उत्तरदायित्व से भरे देखभाल की ज़रूरत को दर्शाता है और गर्भावस्था से लेकर तीन वर्ष की उम्र तक इसमें शामिल हितधारकों की व्यापक श्रेणी पर ध्यान देता है, जो तब होता है जब

बच्चे अपने माहौल के असर के लिहाज से सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं (शोनकॉफ और अन्य, 2012)।

एनसीपीएफईसीई के विभिन्न पहलू राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति, 2013 पर आधारित हैं। फिर भी, यह “गुणवत्ता देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवारों, समुदायों और सेवाओं की क्षमताओं को मजबूत करने” पर 2013 की नीति में दिए गए जोर को शामिल करने में नाकाम है, जो गर्भधारण से लेकर छह साल की उम्र तक, तीन उप-चरणों के लिए कई देखभाल प्रदाताओं की भूमिकाओं को रेखांकित करता है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास मार्गदर्शिका या अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट गाइड (नाउडो और अन्य, 2011) का पालन करता है, जो विभिन्न उप-अवधि के दौरान प्रासंगिक विभिन्न हस्तक्षेपों और उत्तरदायित्व से भरे देखभाल के साथ एक सुखद घरेलू वातावरण के महत्व को इंगित करता है।

इसलिए एनईपी 2020 के ईसीसीई को बढ़ाया जाना चाहिए और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। इसमें पोषण देखभाल ढांचे को शामिल किया जाना चाहिए और उन तरीकों का विवरण दिया जाना चाहिए जिनसे यह नीति स्कूल और घर दोनों के माहौल में मदद कर सकती है।



08

आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को मजबूत बनाना

एनईपी 2020 भारत में “शिक्षा के संकट” को स्वीकार करता है, यानी मूलभूत और संख्यात्मक कौशल की कम प्राप्ति, यानी, “मूल पाठ” को पढ़ने और समझने में सक्षम होना तथा भारतीय अंकों के साथ बुनियादी जोड़ एवं घटाव करना। नीति में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस मिशन के तहत, सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधार साक्षरता एवं संख्यात्मकता हासिल करने के लिए योजनाएं और लक्ष्य निर्धारित करेंगे तथा उसकी गहरी निगरानी करेंगे।

नीति आगे समयबद्ध तरीके से शिक्षकों की रक्तियों को भरने की सिफारिश करती है, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, बड़े छात्र-शिक्षक अनुपात वाले क्षेत्रों और कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों के लिए यह सिफारिश करती है ताकि शिक्षित स्वयंसेवकों के लिए सार्वभौमिक आधारभूत कौशल के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में हिस्सा लेना आसान हो और; समुदाय के भीतर “ईच वन, टीच वन” (हर एक, एक को पढ़ाए) की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सके और सहकर्म-शिक्षण निगरानी की व्यवस्था हो।

एनईपी चाहता है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी प्रारंभिक कक्षा का पाठ्यक्रम को फिर से तैयार करें जिससे प्राथमिक और मध्य विद्यालय में “निरंतर रचनात्मक/अनुकूली मूल्यांकन की एक मजबूत प्रणाली के साथ” मूलभूत साक्षरता कौशल और संख्यात्मकता पर जोर दिया जा सके ताकि छात्रों के लिए खास शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, वही निकाय अपने साथियों और माता-पिता के सहयोग से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के आसपास ग्रेड 1 के छात्रों के लिए एक अंतरिम 3 महीने का प्ले-आधारित ‘स्कूल तैयारी मॉड्यूल’ विकसित करेंगे।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार होगा।

एनईपी को इनपुट के बजाए जवाबदेही पर ध्यान देना चाहिए

नीति खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने की खातिर किसी

तंत्र की सिफारिश नहीं करती है। इसके अलावा, हालांकि नीति शिक्षकों की रिक्तियों को भरने की वकालत करती है, जवाबदेही सुधारों के बिना रिक्तियों को भरने से सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद नहीं मिलेगी (मुरलीधरन, 2019)। जवाबदेही उपायों के अभाव में, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या वाले स्कूल भी खराब प्रदर्शन करते हैं और शिक्षकों में प्रेरणा की कमी एवं अनुपस्थिति से प्रभावित होते हैं (रामचंद्रन और अन्य, 2005)। इसके बजाय, शिक्षकों के संदर्भ में एनईपी 2020 में “गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही के बुनियादी तरीकों” के रूप में क्या उल्लेख किया गया है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए (पेज 4)। शिक्षक शिक्षता कार्यक्रम से शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार आ सकता है (मुरलीधरन, 2019)।

भारत में एक आम धारणा है कि शिक्षकों की भारी कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए और शिक्षकों की भर्ती करने की ज़रूरत है। हालांकि, गीता गांधी किंगडन और संदीप दत्ता द्वारा एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के आंकड़ों के आधार पर इस दृष्टिकोण की एक विस्तृत पड़ताल करने से पता चला है कि देश में शायद ही कुल मिलाकर शिक्षकों की कोई कमी है क्योंकि शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या लगभग अधिशेष शिक्षकों की संख्या के बराबर ही है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर अनुमानित फर्जी नामांकनों का हिसाब लगाया जाए, तो ज़रूरी शिक्षकों की संख्या की गणना बहुत अधिक हो जाती है, और फर्जी नामांकनों को हटाने से रिक्त पदों की संख्या कम हो जाती है और 3,42,000 शिक्षकों का अधिशेष हासिल होता है (दत्ता और किंगडन, 2021)। इसलिए, रिक्तियों को भरने के बजाय शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर ज़्यादा

ध्यान दिया जाना चाहिए।

शिक्षकों के वेतन में बिना शर्त के वृद्धि करना भी एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अक्सर उनके प्रदर्शन में सुधार करने और परिणामस्वरूप शिक्षण परिणामों में सुधार के साधन के रूप में पेश किया जाता है। वृद्धि से शिक्षकों की आय को लेकर संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है और उनके वित्तीय दबाव को कम किया जा सकता है। लेकिन शिक्षकों के वेतन में वृद्धि से उत्पादकता और शिक्षा के मामले में कोई समानांतर सुधार नहीं होता है (री और अन्य, 2015)। दूसरे क्षेत्रों में इसी तरह के प्रायोगिक अध्ययन में, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को ले लें, स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में वृद्धि से पर्याप्त सकारात्मक परिणाम नहीं मिले (दास और अन्य, 2016)।

साक्षरता लक्ष्य हासिल करने के लिए अनौपचारिक तरीकों पर निर्भरता

प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की सेवा लेने की सिफारिशों और “ईच वन, टीच वन” के दृष्टिकोण में कार्यान्वयन संबंधी विवरण का अभाव है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या:

क. प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के लिए न्यूनतम योग्यता की ज़रूरत होगी;

ख. ‘ईच वन, टीच वन’ दृष्टिकोण स्कूली शिक्षा का पूरक होगा;

ग. इन कार्यक्रमों को औपचारिक रूप दिया जाएगा या अनौपचारिक रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा।

संदर्भ

- Aiyar, Y., Dongre, A., & Davis, V.. (2015). "Education Reforms, Bureaucracy and the Puzzles of Implementation: A Case Study from Bihar." International Growth Centre. Retrieved June 24, 2021, from <https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2015/11/Aiyar-et-al-2015-Working-paper.pdf>
- Anand, B & Sudhakar, T. (2020). *Governance challenges in K-12 education in India*. Centre for Civil Society. New Delhi. Retrieved May 9, 2021, from <https://ccs.in/sites/default/files/governance-challenges-in-k-12-education-in-india.pdf>
- ASER [Annual Status of Education Report] (Rural) 2016. (2017). ASER Centre. New Delhi. Retrieved May 10, 2021, from http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202016/aser_2016.pdf
- Azam, M & Chin, A. (2013). "The Returns to English-Language Skills in India." *Economic Development and Cultural Change* 61, 2: 335-367.
- Azim Premji Foundation. (2020). *Myths of online education*. Retrieved May 11, 2021, from https://azimpremjiuniversity.edu.in/SitePages/pdf/Myths_of_online_education.pdf
- Barnett, W. S., Bracey, G. W., Carini, R. M., Downey, D., Finn, J. D., Howley, C., ... & Rosenshine, B. (2002). *School reform proposals: The research evidence*. Greenwich, CT: Information Age.
- Bèteille, A. (2005). *Universities as public institutions*. *Economic and Political Weekly*, 40(31), 3377– 338
- Baum, Donald, Laura Lewis, Oni Lusk-Stover, and Harry Patrinos. 2014. "What Matters Most for Engaging the Private Sector in Education: A Framework Paper." Number 8, SABER Working Paper Series. Retrieved May 13, 2021, from http://wbfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/Background/EPS/SABER_Engaging_the_Private_Sector_in_Education_What_Matters_Framework_Paper.pdf.
- Bhattacharjee, S. (2019). Ten Years of RTE Act: Revisiting Achievements and Examining Gaps. *ORF Issue Brief*.
- Bodrova, E., & Leong, D. J. (2005). The Importance of Play: Why Children Need to Play. *Early Childhood Today*, 20(1), 6-7.
- Brooks, S., Dobbins, K., Scott, J. J., Rawlinson, M., & Norman, R. I. (2014). Learning about learning outcomes: the student perspective. *Teaching in Higher Education*, 19(6), 721-733.
- Centre for Civil Society. (2019a). *Reforming education governance in India: Policy blueprint for separation of powers*. Centre for Civil Society. New Delhi. Retrieved May 13, 2021, from <https://ccs.in/sites/default/files/research/sop-with-cover.pdf>
- Centre for Civil Society. (2019b). *Anatomy of K-12 governance in India*. Centre for Civil Society. New Delhi. Retrieved May 13, 2021, from <https://ccs.in/sites/default/files/Anatomy-of-K-12-Governance-in-India.pdf>

- Chaudhury, N., Hammer, J., Kremer, M., Muralidharan, K., & Rogers, F. H. (2006). Missing in action: teacher and health worker absence in developing countries. *Journal of Economic perspectives*, 20(1), 91-116.
- Chudgar, A., & Quin, E. (2012). Relationship between private schooling and achievement: Results from rural and urban India. *Economics of Education Review*, 31(4), 376-390.
- Coates, H. (2016). Assessing student learning outcomes internationally: *Insights and frontiers. Assessment & Evaluation in Higher Education*, 41(5), 662-676.
- Coyne, C & Coyne, R. (2015). Price control and the damage they cause. *The Institute of Economic Affairs*. London. Retrieved May 9, 2021, from <https://iea.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/Coyne-Interactive.pdf>
- Das, J., Holla, A., Mohpal, A., & Muralidharan, K. (2016). "Quality and Accountability in Healthcare Delivery: Audit-Study Evidence from Primary Care in India." *National Bureau of Economic Research Working Paper 21405*. Retrieved July 6, 2021, from <http://www.nber.org/papers/w21405>
- Datta, S & Kingdon, G. (2021). "The Myth of Teacher Shortage in India." *RISE Working Paper 21/072*. Retrieved June 24, 2021, from https://riseprogramme.org/sites/default/files/2021-05/Myth_of_Teacher_Shortage_in_India.pdf
- Department of School Education and Literacy. (2021). *Implementation plan for national education policy 2020: SARTHAQ*. Ministry of Education, Government of India. New Delhi
- Desai, S., Dubey, A., Vanneman, R., & Banerji, R. (2008). Private schooling in India: A new educational landscape. In *India Policy Forum* (Vol. 5, No. 1, pp. 1-58). Global Economy and Development Program, The Brookings Institution.
- Dutta, I., & Khan, M. A. (2016). Educational and Social Inclusion of Children Admitted Under RTE Quota: A survey of private schools of Bhopal. *MIER Journal of Educational Studies Trends & Practices*, 138-154.
- Edwards, J. (1984). Language, diversity and identity. In *Linguistic minorities, policies and pluralism* (pp. 277-310). Academic Press.
- EY and Parthenon. 2019. "K-12 Market and Regulations Overview." Retrieved 15 May, 2021, from <https://drive.google.com/file/d/1rbheQSSLdzmJPDljsrlmpWFywsx7PJ8H/view>
- French, R., & Kingdon, G. (2010). The relative effectiveness of private and government schools in Rural India: Evidence from ASER data. *London: Institute of Education*.
- Gagne, R. M. (1984). Learning outcomes and their effects: Useful categories of human performance. *American psychologist*, 39(4), 377.
- Global Nutrition Report: Country Nutrition Profiles. Bristol, UK: Development Initiatives. Retrieved 1 May, 2021, from <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/southern-asia/india/>

- Government of India. Per Child Cost under Right to Education. *Lok Sabha, Unstarred Question No. 2165*. 12 Dec. 2019, <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU2165.pdf>. Accessed 20 May 2020.
- Government of India. Per Child Cost under Right to Education. *Lok Sabha, Unstarred Question No. 4724*. 23 Mar. 2020, <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AU4724.pdf>. Accessed 20 May 2020.
- Hussey, T., & Smith, P. (2002). The trouble with learning outcomes. *Active learning in higher education*, 3(3), 220-233.
- Hussey, T., & Smith, P. (2003). The uses of learning outcomes. *Teaching in higher education*, 8(3), 357-368.
- Hussey, T., & Smith, P. (2008). Learning outcomes: a conceptual analysis. *Teaching in higher education*, 13(1), 107-115.
- Hussey, T., & Smith, P. (2012). *The trouble with higher education: A critical examination of our universities*. Routledge.
- Jeffcoate, R. (1984). *Ethnic minorities and education*. Harpercollins College Division.
- Jha, J., Ghatak, N., & Mahendiran, S. (2016). *Tracing the education and employment status of open school graduates in India*.
- Jhingran, D. (2005). *Language disadvantage: The learning challenge in primary education*. APH Publishing.
- Joshi, Laxman. (2021). "India urgently needs an EdTech policy." *India Development Review*, February 12, 2021. <https://idronline.org/india-urgently-needs-an-edtech-policy/>
- Kalra, Shyna. (2020). "NEP for Standardisation of Indian Sign Language; stakeholders say more needs to be done." *The Indian Express*, September 23, 2020. <https://indianexpress.com/article/education/nep-asks-to-standardise-indian-sign-language-stake-holders-demand-more-6606138/>
- Kapur, D., & Khosla, M. (2011). Courts and colleges: A problematic relationship. In *Seminar* (Vol. 627, pp. 2-5).
- Khandekar, Omkar. (2020). National Education Policy: A new dawn for Indian Sign Language. *Mint*, August 3, 2020. <https://www.livemint.com/mint-lounge/features/national-education-policy-a-new-dawn-for-indian-sign-language-11596432023398.html>
- Khandekar, Omkar. (2020). National Education Policy: A new dawn for Indian Sign Language. *Mint*, August 3, 2020. <https://www.livemint.com/mint-lounge/features/national-education-policy-a-new-dawn-for-indian-sign-language-11596432023398.html>
- Kingdon, G., & Banerji, R. (2009). Addressing school quality: some policy pointers from rural north India. RECOUP Policy Brief, 5.

- Kingdon, G., & Banerji, R. (2009). Addressing school quality: some policy pointers from rural north India. *RECOUP Policy Brief*, 5.
- Knittel, C. R., & Stango, V. (2003). Price ceilings as focal points for tacit collusion: Evidence from credit cards. *American Economic Review*, 93(5), 1703-1729.
- Lafleur, M., & Srivastava, P. (2019). Children's accounts of labelling and stigmatization in private schools in Delhi, India and the Right to Education Act. *education policy analysis archives*, 27, 135.
- Lifter, K., Foster-Sanda, S., Arzamarski, C., Briesch, J., & McClure, E. (2011). Overview of play: Its uses and importance in early intervention/early childhood special education. *Infants & Young Children*, 24(3), 225-245.
- Ma, T. C. (2007). Import quotas, price ceilings, and pricing behavior in Taiwan's flour industry. *Agribusiness: An International Journal*, 23(1), 1-15.
- Mehendale, A., Mukhopadhyaya, R., & Namala, A. (2015). Right to Education and Inclusion in Private Unaided Schools: An Exploratory Study in Bengaluru and Delhi. *Economic and Political Weekly*, 50(7), 43-51. Retrieved May 13, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/24481394>
- Mittal, S., & Shah, P. J. (2007). Reservation in private schools: Model for implementation. *Centre for civil society. New Delhi: Centre for Civil Society*.
- Murphy, M. (1980). Price Controls and the Behavior of the Firm. *International Economic Review*, 21(2), 285-291. doi:10.2307/2526181
- Narang, P. (2019). Deconstructing disdain for for-profit education. *Education World*. Retrieved May 15, 2021, from <https://www.educationworld.in/deconstructing-disdain-for-for-profit-education/>
- National Council of Educational Research and Training. (2005). National Curriculum Framework 2005. New Delhi. Retrieved May 3, 2021 from <https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/nf2005-english.pdf>
- (2019). National Achievement Survey 2017. Government of India. New Delhi
- National Education Policy (2020). Ministry of Human Resource Development, Government of India. New Delhi
- Pattanayak, D. P. (Ed.). (1990). Multilingualism in India (No. 61). *Multilingual Matters*.
- Patnaik, I., & Shah, A. (2014). *Reforming India's Financial System*. Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved May 07, 2021, from https://carnegieendowment.org/files/reform_indian_financial_system.pdf
- Piore, M. (2011). Beyond Markets: Sociology, Street-level Bureaucracy, and the Management of

the Public Sector. Special Issue: Sociological Citizens: Practicing Pragmatic, Rational Regulation. Retrieved June 24, 2021, from <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2010.01098.x>

Planning Commission. (2011). Mid-Term Appraisal of the Eleventh Five Year Plan: 2007-2012. Government of India. New Delhi. Retrieved May 19, 2021, from https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/plans/mta/11th_mta/chapterwise/Comp_mta11th.pdf

Pont, B., Montt, G., Albiser, E., Zapata, J., & Fraccola, S. (2013). Education Policy Outlook: Chile. *OECD Publishing*. Retrieved May 06, 2021, from https://www.oecd.org/education/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20CHILE_EN.pdf

Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M., & Rogers, H. (2015). Double for Nothing: Experimental Evidence on the Impact of an Unconditional Teacher Salary Increase on Student Performance in Indonesia. National Bureau of Economic Research Working Paper 21806. Retrieved July 6, 2021, from <http://www.nber.org/papers/w21806>.

Rizvi, F. (2016). Privatization in education: Trends and consequences. UNESCO Working paper No. ED-2016/WP/2. Retrieved May 18, 2020, from <http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/5066/Privatization%20in%20Education%20Trends%20and%20Consequences.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Santhosh, S. (2014). *Analysis of school fee regulation in India*. Centre for Civil Society. New Delhi. Retrieved May 13, 2021, from https://www.ccs.in/sites/default/files/research_school-fee-regulation-india.pdf

Sarin, A., Kuhn, S., Singh, B. D., Khanghta, P., Dongre, A. A., Joshi, E., ... & Rahman, F. (2015). *State of the Nation: RTE Section 12 (1)(c)*.

Savas, E. S. (2000). Privatization and Public-Private Partnerships. New York, Chatham House Publishing

Sengupta, M. (2020). NEP: Assessment is the key to unlock better learning. Mint. Retrieved June 24, 2021, from <https://www.livemint.com/opinion/columns/nep-assessment-is-the-key-to-unlock-better-learning-11597018842931.html>

Shah, M., & Steinberg, B. (2019). The right to education act: Trends in enrollment, test scores, and school quality. In *AEA Papers and Proceedings* (Vol. 109, pp. 232-38).

Shah, P. (2019). 100% marks! Is it time to revamp the system?. *The Peeper Times*. Retrieved May 13, 2021, from <https://www.parthjshah.in/100-percent-marks-is-it-time-to-revamp-the-system>

Sheahan, J. (1961). Problems and Possibilities of Industrial Price Control: Postwar French Experience. *The American Economic Review*, 51(3), 345-359. Retrieved May 12, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/1814163>

Sylva, K. and Melhuish, Edward C. and Sammons, P. and Siraj-Blatchford, I. and Taggart, B., eds. (2010) *Early childhood matters: evidence from the effective pre-school and primary education project*. Abingdon, UK: Routledge. ISBN 9780415482431

The Sustainable Development Goals Report. (2020). United Nations. Retrieved May 11, 2021, from

<https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf>

Tilak, J. B. (2002). Financing elementary education in India. *India education report*, 267-293.

Vyas, A. (2020). Status report - Government and private schools during COVID-19. OXFAM India. Retrieved May 12, 2021, from <https://www.oxfamindia.org/sites/default/files/2020-09/Status%20report%20Government%20and%20private%20schools%20during%20COVID%20-%2019.pdf>

Wiles, S. (1985). Language and Learning in Multi-Ethnic Classrooms: Strategies for Supporting Bilingual Students' in Wells, Gordon and John Nichols (eds). *Language and Learning: An Interactional Perspective*. The Falmer Pass. London.

Yagnamurthy, S. (2017). Continuous and comprehensive evaluation (CCE): Policy and practice at the national level. *The Curriculum Journal*, 28(3), 421-441.



**Centre for
CIVIL
SOCIETY**

SOCIAL CHANGE THROUGH PUBLIC POLICY



**FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION** For Freedom.

South Asia

ए-69, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016
फोन: +91 11 2653 7456 | वेबसाइट: www.ccs.in